

न्यायालय तहसीलदार गडरारोड, जिला बाड़मेर

राजस्व प्रकरण संख्या 20/2019 राजस्थान भू-राजस्व अधि नेयम, 1956 की धारा 91

सायल

गैरसायल

राजस्थान सरकार जरिये वगान  
पटवारी हल्का राजापर

श्री उकडराम पुत्र रामराम  
जाति मेघवाल निवासी देवाजी  
तहसील गडरारोड जिला बाड़मेर।

निर्णय

पत्रावली आज वमुकान गडरारोड में पेश हुई गैरसायल की 35/36। पत्रावली का हमने अवलोकन किया संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का राजापर ने धारा 91 के तहत रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि गैर सायल ने ग्राम देवाजी के खसरा नम्बर 2501 रकबा 79.05 बीघा में से 1.5 बीघा किस्म गीठ जोया राजकीय भूमि पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार गैरसायल के विरुद्ध धारा 91 आर.एल.आर. एक्ट 1956 के तहत मुकदमा दर्ज रजिस्टर कर गैरसायल को जरिये नोटिस के सुनवाई हेतु तलब किया गया नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ।

अतः गैरसायल को आर.एल.आर. एक्ट 1956 धारा 91 का उल्लंघन करने पर गैरसायल को अतिक्रमण घोषित किया जाकर उक्त अतिक्रमण भूमि से वेदखल करने के आदेश पारित किये जाते हैं साथ ही वार्षिक लगान के पुर्णांक का 50 गुणा जुर्माना राशि रुपये 50 अक्षर 52500 रुपये मात्र से आरोपित किया जाता है। जो गैरसायल से वसूल हो।

टी.आर.ए. पटवारी हल्का, निरीक्षण भू.अ. आदेश से सुचित हो तथा पत्रावली टी.आर.ए को मांग का यकीन हेतु भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 18/07/19 को सरेआम सुनाया गया।

  
तहसीलदार गडरारोड

जुमाना 58 फसल नि. —  
कुल योग 50 जि.के पृष्ठ सं 28  
वर्ष 2019-20 में इन्द्राज किया गया।

तहसील राजस्व लेखाकार